

No. 35018/02/2020-Admn-I
Government of India
Ministry of Power
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110001
Telephone No. 23715507; FAX No. 23717519

Dated : 23.04.2020

To

1. Secretaries of all Ministries/Departments of Government of India
2. Chairperson, Central Electricity Authority.
3. Chairmen/Heads of all Public Sector Undertakings/Autonomous/Statutory Bodies under the administrative control of the Ministry of Power.
4. Chairmen of all the State Electricity Boards/Power Utilities.
5. Power Secretaries of all the State Governments/Union Territories.
6. Vice Chancellors of all Universities/ Head of all IITs/IIMs.
7. Chairman, Engineers India Ltd.
8. Secretary, PESB, New Delhi.

Subject: Appointment to the posts of Member (Power Systems), Member Grid Operation & Distribution) and Member (Thermal) in the Central Electricity Authority, on deputation/short-term contract basis – inviting applications for – regarding

Sir/Madam,

I am directed to state that the Ministry of Power requires the services of suitable candidates for filling up the vacancies of Member (Power Systems), Member (Grid Operation & Distribution) and Member (Thermal) in Level-15 in pay matrix (Rs.1,82,200 – 2,24,100)/67000-79000/-(pre-revised) with ex-officio status of Additional Secretary to the Government of India, in the Central Electricity Authority, New Delhi, an attached office of the Ministry of Power. The incumbent of the post is entitled to other allowances/ benefits as per rules of the Central Government.

2. In this connection, I am directed to request to circulate the vacancies of Member (Power Systems), Member (Grid Operation & Distribution) and Member(Thermal) for filling up on deputation/short-term contract basis in the Central Electricity Authority (CEA).

3. The appointment to the posts of Members in the Central Electricity Authority is made in accordance with the provisions contained in Section 70 of the Electricity Act, 2003 available at "<http://powermin.nic.in/en/content/Electricity-Act-2003>" read with the Central Electricity

Authority (Terms and conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2005 which are available on the Ministry of Power Website "http://powermin.nic.in/sites/default/files/uploads/gazette_2.pdf".

4. The broad duties and responsibilities attached to the posts of Member (Power Systems), Member (Grid Operation & Distribution) and Member (Thermal) are indicated in **Annexure-I**. The format in which application is required to be submitted, can also be downloaded from the Ministry of Power Website: "<http://powermin.nic.in/en/content/vacancies>".

5. The eligibility conditions for the posts are as under:

(i) **Maximum age limit** : **58 years** as on the closing date for receipt of applications

(ii) **Qualifications** : No person shall be eligible for appointment to the office of Member, unless he/she has held:

(a) the post of Chief Engineer or equivalent in the Level-14 in pay matrix (Rs.144200 - 218200)/Rs.37400-67000+GP.10000/-(Pre-revised) or higher post/Level in the pay matrix on a regular basis for at least 04 years and 07 months under the Central Government or a State Government.

or

a post equivalent to that of a post mentioned in clause (a) above under a State Electricity Board or a semi-Government Organisation or a Public Sector Undertaking or an Autonomous Body or a Statutory Body or a University or an Indian Institute of Technology or an Indian Institute of Management on a regular basis for at least 04 years and 07 months; and

(b) **Experience:** Minimum of three years' field experience in the relevant field as defined in sub-section (5) of Section 70 of the Electricity Act, 2003.

6. The appointment shall be on deputation/short-term contract basis for a period of five years, subject to the condition that the services shall not be extended beyond the date of superannuation.

7. The crucial date for determination of eligibility of applicants for the posts will be the closing date for receipt of applications.

8. It is requested that the above mentioned vacancies may kindly be given wide publicity among the eligible candidates and the applications of the suitable and eligible serving persons who are willing to be considered and whose services can be spared, may be forwarded to the

Under Secretary (Admn.I), Ministry of Power, Room No.26, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi-110001 in the enclosed Proforma (Annexure-II) (in quadruplicate). If applying for more than one post, separate application may be submitted for each post. Ministries/Departments/Organizations may also e-mail the scanned copy of the application along with all enclosures at admn1-power@nic.in so as to reach the applications well before the closing date. The applications together with the following documents/information may be sent so as to reach this office within 30 days from the date of publication of the vacancies advertisement in the 'Newspaper (English & Hindi)'.

- i. Attested photocopies of Annual Confidential Reports/APARs for the last 5 years.
- ii. Vigilance Clearance Certificate & Integrity Certificate (to be signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India).
- iii. Whether any penalty has been imposed on the applicant in the last ten years, and if so, details thereof.

9. It may be ensured that the particulars in Part-I of the application by the applicant are duly verified and countersigned invariably by the employer. Applications received after the closing date or without the prescribed documents/information will not be considered.

Yours faithfully,



(Hausuanthang Guite)

Under Secretary to the Government of India

Tele No.23715327

Encl: As above

Copy forwarded for information to:

- i. PS to Minister of State for Power (I/C).
- ii. Sr.PPS to Secretary (Power)
- iii. NIC, Ministry of Power, for hosting the vacancy circular on Ministry's web-site. This circular may be kept on the web-site till the end of September-2020.



(Hausuanthang Guite)

Under Secretary to the Government of India

Tele No.23715327

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS IN THE CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

MEMBER (Power Systems) :-

Planning and development of Transmission facilities consistent with national power plans; monitoring of rural electrification; Transmission & Distribution loss reduction; studies for the purpose of appraisal of transmission projects; transmission technology development; design & engineering; standardisation and preparation of model document; renovation and modernization of transmission schemes; construction monitoring of transmission projects; inspection of existing electrical installations in Union territories and Central Government Departments; investigation of accidents on electrical installations and suggesting remedial measures for their minimization and prevention etc.

MEMBER (GRID OPERATION & DISTRIBUTION) :-

Formulation of policies for safe, secure and economic operation of regional grids; integrated operation, control and co-ordination of five regional grids through Regional Power committees; monitoring of delivery of shares from Central Sector projects; intra and inter-regional exchange of power; emergency power assistance; energy accounting on daily and monthly basis; load generation balance and grid disturbance studies; grid code; tariff principles of bulk generation & transmission; monitoring of rural electrification; optimization of distribution network; work relating Accelerated Power Development & Reforms Programme (APDRP) including 100% metering, energy accounting, evaluation of benefits, quality control; matters relating to telecommunication in Power Sector; telecommunication data acquisition and software support; operation monitoring and performance review of thermal power stations; updating of maintenance procedures; generation data collection; performance analysis; maintenance monitoring etc.

MEMBER (Thermal) :-

Overall thermal power development in the country; updating, development and evaluation of thermal technologies; design & engineering of thermal projects; quality assurance standards and plans; preparation of model documents and standards; thermal projects investigation & ash utilization; monitoring of construction & stabilization of thermal projects and suggesting remedial measures to problems involved; renovation, modernisation and life extension programmes etc.

Application for the post of Member (_____) in the Central Electricity Authority

PART - I

CURRICULAM VITAE PROFORMA

1	Name and Address including Telephone Numbers (in Block Letters)		
2	Date of Birth (in Christian Era)		
3	Date of retirement under Central/ State Government/ Parent Organisation Rules		
4	Educational Qualifications		
5	Whether Educational and other qualifications required for the post are satisfied. (If any qualification has been treated as equivalent to the one prescribed in the Rules, state the authority for the same)	Qualifications/Experience required	Qualifications/Experience possessed by the officer
		(1) (2) (3)	
6	Please State clearly whether in the light of entries made by you above, you meet the requirement of the post		

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient

Office/ Institution/Organisation	Post Held	From	To	Scale of Pay and Basic pay	Nature of Duties (in detail)

(Please also enclose details of work experience in not more than 150 words)

8. Nature of present employment i.e.
Ad-hoc or Temporary or on Contract basis
or Permanent
9. In case the present employment is held
On deputation/contract basis, please state –
 - a. the date of initial appointment
 - b. period of appointment on deputation/

Contract
 - c. name of the parent office/organization

10. Additional details about present employment

Please state whether working under
(indicate the name of your employer against
the relevant column)

- a. Central Govt.
 - b. State Govt.
 - c. Autonomous Organisation
 - d. Government Undertaking
 - e. Universities/ IITs/ IIMs
 - f. Others
11. Are you in revised scale of pay? If yes, give
the date from which the revision took place
and also indicate the pre-revised scale
 12. Total emoluments per month now drawn
 13. Additional information, if any, which you would like
to mention in support of your suitability for the post.
(This among other things may provide information
with regard to (i) additional academic qualifications
(ii) professional training and (iii) work experience
over and above prescribed in the Vacancy Circular/
Advertisement)

(Note: Enclose a separate sheet, if the space is insufficient).

14. Remarks (The candidates may indicate information with regard to (i) Research publications and reports and special projects (ii) Awards/Scholarship/Official Appreciation (iii) Affiliation with the professional bodies/Institutions/societies and (iv) any other information.

(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)

I have carefully gone through the vacancy circular/advertisement and I am well aware that the Curriculum Vitae which are duly supported by documents submitted by me will also be assessed by the Selection Committee at the time of selection for the post.

Signature of the candidate

Address:

Telephone/Mobile No:

Fax No:

Certified that the above details have been verified and found to be correct.

Countersigned by the authorized signatory of the Employer with official seal

PART-II

(Name and address of the Office forwarding the application)

Reference No. _____

Date: _____

Certified that:-

- a. no vigilance case/disciplinary proceedings are pending or contemplated against Sh./Smt. _____ and the integrity of the officer is beyond doubt;
- b. no penalty has been imposed on the applicant in the last ten years (If any penalty has been imposed on the applicant please give details);
- c. no penalty is in operation against the applicant as on date (If any penalty is in operation against the applicant, please give details)

Signature _____

Name _____

Designation _____

Office _____

(The Part-II of the application must be signed by a Competent Authority not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India)

सं० 35018/02/2020-प्रशा.1
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
दूरभाष नं० 23715507, फैक्स नं० 23717519

दिनांक: 23.04.2020

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।
3. विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों के अध्यक्ष/प्रधान।
4. सभी राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत यूटिलिटीयों के अध्यक्ष।
5. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विद्युत सचिव।
6. सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति/सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/भारतीय प्रबंधन संस्थानों के प्रधान।
7. अध्यक्ष इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड।
8. सचिव, पीएसईवी नई दिल्ली।

विषय: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर सदस्य (विद्युत प्रणाली), सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) और सदस्य (ताप विद्युत) के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विद्युत मंत्रालय को विद्युत मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली में भारत सरकार के अपर सचिव के पदेन स्तर में लेवल-15 में पे मैट्रिक्स (रू.1,82,200-2,24,100)/रू.67,000-79,000 (संशोधन पूर्व) में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पदेन स्तर पर सदस्य (विद्युत प्रणाली), सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) और सदस्य (ताप विद्युत) की रिक्तियों को भरने हेतु उपयुक्त उम्मीदवारों की सेवाओं की आवश्यकता है। इस पद के पदधारी केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार अन्य भत्तों/लाभों के लिए पात्र हैं।

2. इस संबंध में, मुझे प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक अनुबंध आधार पर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में सदस्य (विद्युत प्रणाली), सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) और सदस्य (ताप विद्युत) के पदों की रिक्ति को परिचालित करने हेतु अनुरोध करने का निर्देश हुआ है।

3. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य के पदों पर नियुक्ति केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2005, जो विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट http://powermin.nic.in/sites/default/files/uploads/gazette_2.pdf पर उपलब्ध है, के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 में शामिल प्रावधान जो <http://powermin.nic.in/en/content/Electricity-Act-2003> पर उपलब्ध है, के अनुसार की जाती है।

4. सदस्य (विद्युत प्रणाली), सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण) और सदस्य (ताप विद्युत) के पदों से संबंधित विस्तृत कार्य एवं उत्तरदायित्व अनुलग्नक-I में दर्शाए गए हैं। आवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु आवेदन का प्रारूप भी विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट <http://powermin.nic.in/en/content/vacancies> से डाउनलोड किया जा सकता है।

5. पदों के लिए पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं-

(i) अधिकतम आय : आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 58 वर्ष

(ii) योग्यता : कोई भी व्यक्ति सदस्य के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित पद धारित न किया हो।

(क) केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कम से कम 4 वर्ष, 7 माह के लिए लेवल-14 में पे मैट्रिक्स (रू.1,44,200-2,18,200)/रू.37,400/-67,000+ग्रेड पे रू.10,000/- (संशोधन पूर्व) में अथवा उच्च पद/पे मैट्रिक्स स्तर पर नियमित आधार पर मुख्य अभियंता अथवा समकक्ष;

अथवा

कम से कम 4 वर्ष, 7 माह तक नियमित आधार पर, राज्य विद्युत बोर्ड अथवा अर्द्ध-सरकारी संगठन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा सांविधिक निकाय अथवा विश्वविद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अथवा भारतीय प्रबंधन संस्थान में उपर्युक्त खण्ड (क) में वर्णित पद के समकक्ष कोई पद; तथा

(ख) अनुभव: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 70 की उप धारा (5) में यथा परिभाषित संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का क्षेत्रीय अनुभव।

6. यह नियुक्ति इस शर्त पर, कि अधिवर्षिता की तारीख के बाद सेवा काल बढ़ाया नहीं जाएगा, के अध्यक्षीन प्रतिनियुक्ति/अल्पकालिक संविदा के आधार पर पाँच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

7. इन पदों के लिए आवेदकों की पात्रता के निर्धारण हेतु अंतिम तारीख आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख होगी।

8. अनुरोध है कि पात्र उम्मीदवारों के बीच उपर्युक्त रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं पात्र सेवारत व्यक्तियों, जो इसके लिए इच्छुक हैं और जिन्हें सेवा देने के लिए मुक्त किया जा सकता हो, के आवेदन अवर सचिव (प्रशासन-1), विद्युत मंत्रालय, कमरा नं0 26, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 को संलग्न प्रपत्र (अनुबंध-II) में अंग्रेषित किए जाएं (चार प्रतियों में)। यदि एक से ज्यादा पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन भेजे जाएं। मंत्रालय/विभाग/संगठन सभी संलग्नों सहित आवेदन पत्र की स्कैन प्रति admn1-power@nic.in पर ई-मेल भी करें ताकि आवेदन-पत्र अंतिम तारीख से ठीक पहले पहुंच जाएं। आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ इस प्रकार से भेजे जाएं कि इस कार्यालय में इस रिक्ति के समाचार-पत्र (अंग्रेजी एवं हिंदी) में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर पहुंच जाए-

- (i) पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/एपीएआर की प्रमाणित फोटोकॉपियां।
- (ii) सतर्कता अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र (जिसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो जो उप सचिव, भारत सरकार से नीचे के पद का न हो)।
- (iii) क्या गत दस वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है, और यदि हाँ, तो उसका व्यौरा।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदक द्वारा आवेदन के भाग-I में दिए गए विवरण नियोक्ता द्वारा यथा प्रमाणित तथा निरपवाद रूप से प्रतिहस्ताक्षरित होने चाहिए। अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त अथवा निर्धारित दस्तावेजों/सूचना के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।


संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

(हाउसुआनथांग गुईते)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23715327

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

- (i) विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव।
- (ii) सचिव (विद्युत) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
- (iii) एन.आई.सी., विद्युत मंत्रालय, रिक्ति परिपत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए। इस परिपत्र को सितंबर, 2020 के अंत तक वेबसाइट पर रखा जाए।



(हाउसुआनथांग गुईते)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23715327

सदस्य, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व

सदस्य (विद्युत प्रणाली)

राष्ट्रीय विद्युत योजना से सुसंगत पारेषण सुविधाओं की आयोजना एवं विकास; ग्रामीण विद्युतीकरण की निगरानी; पारेषण एवं वितरण हानि में कमी; पारेषण परियोजनाओं के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ अध्ययन; पारेषण प्रौद्योगिकी विकास; डिजाइन एवं अभियांत्रिकी; मॉडल दस्तावेजों का मानकीकरण एवं तैयारी; पारेषण स्कीमों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण; पारेषण परियोजनाओं के निर्माण की निगरानी; संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय सरकार के विभागों में मौजूदा इलैक्ट्रिकल संस्थापनाओं का निरीक्षण; इलैक्ट्रिकल संस्थापनाओं में दुर्घटनाओं की जांच और उन्हें कम करने एवं उनके निवारण के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाना आदि।

सदस्य (ग्रिड प्रचालन एवं वितरण)

क्षेत्रीय ग्रिडों के सुरक्षित, सुदृढ़ और मितव्ययी प्रचालन; क्षेत्रीय विद्युत समितियों के माध्यम से पाँच क्षेत्रीय ग्रिडों के एकीकृत प्रचालन नियंत्रण और समन्वयन; केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं से हिस्सों की सुपुर्दगी की निगरानी; विद्युत के अंतः और अंतरदेशीय विनिमय; आपातकालीन विद्युत सहायता; दैनिक और मासिक आधार पर ऊर्जा लेखा; भार उत्पादन संतुलन और ग्रिड विशुद्धता अध्ययन; ग्रिड कोड; थोक उत्पादन और पारेषण के प्रशुल्क संबंधी सिद्धांत; ग्रामीण विद्युतीकरण की निगरानी; विद्युत नेटवर्क के इष्टतमीकरण; 100 प्रतिशत मीटरिंग; ऊर्जा लेखा, लाभों के मूल्यांकन; गुणवत्ता नियंत्रण सहित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) से संबंधित कार्य; विद्युत क्षेत्र में दूरसंचार से संबंधित मामलों; दूरसंचार आंकड़ा प्राप्ति और साफ्टवेयर सहायता; ताप विद्युत केंद्रों की प्रचालन निगरानी और निष्पादन समीक्षा; रखरखाव प्रक्रियाओं को अद्यतन करने; उत्पादन आंकड़ा संग्रहण; कार्यनिष्पादन विश्लेषण; रखरखाव निगरानी के लिए नीतियां तैयार करना।

सदस्य (ताप विद्युत)

देश में ताप विद्युत का विकास; थर्मल प्रौद्योगिकियों का अद्यतनीकरण, विकास और मूल्यांकन; थर्मल परियोजनाओं की डिजाइन और अभियांत्रिकी; गुणवत्ता आश्वासन मानक और योजना; मॉडल दस्तावेजों एवं मानकों की तैयारी; थर्मल परियोजनाओं की जांच और राख का उपयोग; थर्मल परियोजनाओं के निर्माण और स्थिरीकरण की निगरानी और अंतःग्रस्त समस्याओं के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देना; नवीकरण, आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार कार्यक्रम आदि।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में सदस्य () के पद हेतु आवेदन पत्र

भाग-I

जीवन वृत्त

1. नाम व पता दूरभाष नंबर सहित (स्पष्ट अक्षरों में)		
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में)		
3. केंद्र/राज्य सरकार/मूल संगठन नियमावली के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि		
4. शैक्षिक योग्यता		
5. क्या पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं पूरी कर ली गई हैं। (यदि किसी शैक्षिक योग्यता को नियमों में वर्णित किसी शैक्षिक योग्यता के समकक्ष माना गया है तो उसके प्राधिकारी का उल्लेख करें)	अपेक्षित शैक्षिक योग्यताएं/ अनुभव	अधिकारी द्वारा धारित शैक्षिक योग्यताएं/ अनुभव
	(1) (2) (3)	
6. कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि आपके द्वारा ऊपर की गई प्रविष्टियों के मद्देनजर क्या आप पद संबंधी आवश्यकता पूरी करते हैं		

7. कालानुक्रम में रोजगार के व्यौरा यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है, तो अलग से एक स्व:प्रमाणित कागज संलग्न करें:

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कार्यों की प्रकृति (विस्तार से)

(कृपया कार्य अनुभव का व्यौरा अधिकतम 150 शब्दों में संलग्न करें)

8. वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या अनुबंध आधार पर या स्थायी।

9. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर है तो कृपया बताएं-

क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि:

ख) प्रतिनियुक्ति/अनुबंध आधार पर नियुक्ति की तारीख

ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम जिससे संबंधित हैं

10. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त ब्यौरे

कृपया बताएं कि आप किसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं (संबंधित कॉलम के सामने अपने नियोक्ता का नाम दर्शाएं)

क) केंद्र सरकार

ख) राज्य सरकार

ग) स्वायत्तशासी संगठन

घ) सरकारी उपक्रम

ड.) विश्वविद्यालय / भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय प्रबंधन संस्थान

च) अन्य

11. क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं? यदि हां, वह तिथि बताएं जब से संशोधन हुआ है और संशोधित पूर्व वेतनमान भी दर्शाएं

12. अब प्रतिमाह आहरित की जा रही कुल परिलब्धियां

13. कोई अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हों तो, जो आप पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में देना चाहें।

(अन्य बातों के साथ-साथ (I) अतिरिक्त शैक्षिक योग्यताएं (II) व्यावसायिक प्रशिक्षण और (III) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में वर्णित कार्य अनुभव से अधिक अनुभव होने के संबंध में सूचना प्रदान कर सकते हैं)

(नोट- यदि स्थान अपर्याप्त है तो अलग से कागज संलग्न करें)
14. टिप्पणियां (आवेदक (I) अनुसंधान प्रकाशन, रिपोर्ट एवं विशेष परियोजनाओं (II) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालयी सम्मान (III) व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/सोसायटियों के साथ संबद्धता से संबंधित सूचना और (iv) कोई अन्य सूचना दर्शा सकते हैं।

(नोट- यदि जगह पर्याप्त नहीं है तो कृपया एक अलग कागज संलग्न करें)

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को भली-भांति पढ़ लिया है और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित मेरे जीवनवृत्त का भी, पद चयन के समय, चयन समिति के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

पता:

दूरभाष/मोबाइल नं०

फैक्स नं०

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त ब्यौरों की पड़ताल की गई और ठीक पाया गया।

नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालयी मुहर सहित प्रतिहस्ताक्षर

भाग-11

(आवेदन- पत्र अग्रेपित करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

संदर्भ सं.

तारीख.....

प्रमाणित किया जाता है कि-

- क. श्री/श्रीमती के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं है अथवा विचारणीय नहीं और उसकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे है
- ख. विगत दस वर्षों में आवेदक पर कोई शास्ति नहीं लगाई गई है (यदि आवेदक पर कोई शास्ति लगाई गई है तो कृपया उसका व्यौरा दें);
- ग. आज की तारीख में आवेदक के विरुद्ध कोई शास्ति प्रचालनाधीन नहीं है (यदि आवेदक के विरुद्ध कोई शास्ति प्रचालनाधीन है तो कृपया उसका व्यौरा दें)

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

कार्यालय.....

(आवेदन-पत्र का भाग-11 सक्षम प्राधिकारी, जो उप सचिव, भारत सरकार से निम्न पद पर न हो, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अनिवार्य है)
